न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः– 24.07.2023

मु0न0:–70 / 2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

रत्तीराम पुत्र प्यारसिंह गूर्जर निवासी कंजोली तहसील टोडाभीम।

सायलान

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रंगलाल
2. गजराज पुत्र रामस्वरूप
3. रूपराज पुत्र रामस्वरूप
4. सचिन पुत्र गजराज
5. सुरेश पुत्र गजराज
6. माया देवी पत्नि गजराज
7. विमला पत्नि रूपराज

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान कंजोली तहसील टोडाभीम।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट सायल

निर्णय   दिनांकः–30.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कंजोली की आरजी ख0न0 2112 / 0.67, 2124 / 0.61 कुल किता 2 कुल रकवा 1.28 है0 मे सायल 1 / 2 हिस्से का ख0न0 315 / 0.18 है0 मे सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात पर गैरसायल जवरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहते है। जबकि सायल की भूमि मे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है।

बॉका दिनांक 06.07.2023 को सायल अपने हिस्से व कब्जे की आराजी पर बाजरे की फसल की देखभाल कर रहा था इतने मे सभी गैरसायलान हाथो मे लाठी लेकर आये और सायल से कहने लगे कि अब तू इस भूमि पर आना जाना छोड दे इस भूमि पर हम जबरदस्ती से कब्जा कर तुझे बेदखल करेगे। इसिलये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्राईमाफेसी केश सायलान के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को इस अम्र से पावन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ... 2112 / 0.67, 2124 / 0.61, 2112 / 0.67, 2124 / 0.61 मे सायल के कब्जे काश्त मे ... मदाखलत नही करे ... को बेदखल नही करे, सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

सायल वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम कंजोली की आरजी ख0न0 2112/0.67, 2124/0.61 कुल किता 2 कुल रकवा 1.28 है0 मे सायल 1/2 हिस्से का ख0न0 315/0.18 है0 मे सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात पर गैरसायलान जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहते है। जबकि सायल की भूमि मे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। प्राईमाफेसी केश सायलान के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नाही किसी अन्य से करावे।

सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2075—78 की आराजी ख0न0 2112/0.67, 2124/0.61 कुल किता 2 कुल रकवा 1.28 है0 मे सायल 1/2 हिस्से का तथा ख0न0 315 रकवा 0.18 है0 मे सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है, गैरसायलान का जमाबन्दी मे खातेदार काश्तकार नही है और नाही गैरसायलान ने न्यायालय मे दस्तावेज जबाब पेश किया है उक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अत गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गाम कंजोली आराजी ख0न0 2112/0.67, 2124/0.61 कुल किता 2 कुल रकवा 1.28 है0 मे 1/2 हिस्से का तथा ख0न0 315 रकवा 0.18 है0 मे सम्पूर्ण हिस्से मे सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:01 IST
Reason: SelfAttested